



यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कमर्सियल कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक पी-2, सै-ओमेगा-1, ग्रेटर नोएडा, सिटी-201308 जनपद-गौतम बुद्ध नगर (उ०प्र०)

पत्रांक-वाई.ई.ए./नियोजन/1532/2023

दिनांक- 27-09-2023

सेवा में,

M/s Starcity Builders and Promoters LLP

7th Floor, Plot No. 01B, Sector-126

Noida -201303

Application ID:BM190720238677

महोदय,

कृपया अपने ऑनलाईन आवेदन दिनांक-19/07/2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसमें आपके द्वारा टी0एस0-06 सैक्टर-22डी के अन्तर्गत नियोजित वाणिज्यिक भूखण्ड संख्या सी-01 एवं सी-02 यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रस्तुत वाणिज्यिक भवन निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति के लिये अनुरोध किया गया है।

स्वीकृति हेतु संक्षिप्त विवरण:-

भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल	16004.32 वर्गमीटर
स्वीकृति एफ.ए.आर.	31858.543
नॉन एफ.ए.आर.	11821.17
स्वीकृति 15 प्रतिशत एफ.ए.आर.	4157.120
कुल बिल्टअप एरिया	47837.00

उक्त वाणिज्यिक भूखण्ड संख्या सी-01 एवं सी-02, टी0एस0-06 सैक्टर-22डी हेतु मानचित्र स्वीकृति पर सम्यक विचारोपरान्त स्वीकृति मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भवन मानचित्र की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जा रही है:-

1. यह मानचित्र पत्र जारी होने की तिथि से 05 वर्ष (मान्य निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है। साथ ही पट्टा प्रलेख की शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगर पालिकाए, यमुना प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा। स्वीकृत मानचित्र में किसी भी प्रकार का फेरबदल अनुमन्य नहीं होगा। किसी भी फेरबदल के लिये प्राधिकरण से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।
4. किसी भी कारण से यदि आवंटन निरस्त होता है तो मानचित्र स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
5. यदि भविष्य में विकास कार्य अथवा अन्य कोई व्यय मॉगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
6. दरवाजे व खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी अन्य भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्टेड) न हों। भूखण्ड पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही संस्था को एण्ट्री/एक्जिट गेट बनाये जाने की अनुमति होगी। मानचित्र से इतर कोई भी एण्ट्री/एक्जिट अनुमन्य नहीं होगा।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसिफिकेशन यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र की भवन विनियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा।
9. आवंटी द्वारा तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा।

10. आवंटी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही सभी तलों का निर्माण किया जाएगा।
11. सड़क पर अथवा सर्विस लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेंगे।
12. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण प्राधिकरण के परियोजना विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा।
13. स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रामाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में नहीं लाया जायेगा।
14. रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान प्राधिकरण तथा सम्बन्धित संस्थान के नियमों के अनुसार कराया जाना होगा।
15. पर्यावरण विभाग, अग्निशमन विभाग आदि विभागों द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
16. शारिरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिये आवश्यक प्राविधान तथा सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
17. भूखण्ड संख्या सी-01 एवं सी-02 की सभी सर्विस का लेवल पूर्व में टी0एस0-06 सैक्टर-22डी हेतु सत्यापित सर्विस के अनुसार रखा जाएगा।
18. यदि आवश्यकता हो तो हेरिटेज स्थलों एवं प्राचिन स्मारकों को संरक्षित किये जाने के लिये Ancient momunents, Archaeological sites and remains (Amendment & Validation) Act, 2010 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
19. भूखण्ड संख्या टी0एस0-06 सैक्टर-22डी के भू-विन्यास मानचित्र हेतु स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
20. स्थल पर तालाब/पोखर/झील होने की दशा में उसे नियोजन में समायोजित कर संरक्षित किया जायेगा।
21. संस्था द्वारा ऐसी प्रस्तावित भूमि जिसका अभी संस्था को विधिवत हस्तान्तरण होना शेष है, अथवा वर्तमान तथा भविष्य में कोई विधिक अड़चन आती है तो उस पर कोई भी प्रस्ताव केवल नियोजन हेतु ही प्रतीकात्मक रूप से रहेगा, उस भूमि पर संस्था द्वारा कोई निर्माण नहीं किया जाएगा।
22. संस्था द्वारा भूखण्ड पर पार्किंग व्यवस्था शासन को प्रेषित प्रस्ताव के अनुरूप दर्शायी गयी है। प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 शासन को प्रेषित प्रस्ताव का गजट नोटिफिकेशन के समय कोई विचलन/संशोधन किया जाता है तो उस दशा में प्रस्ताव पर शासन के निर्णय के अनुसार संस्था द्वारा मानचित्र संशोधन (यदि आवश्यक हो) की कार्यवाही करायी जायेगी।
23. भूगर्भ जल विभाग/केन्द्रीय भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवंटी स्वयं लेंगे।
24. एन0जी0टी एवं ई.पी.सी.बी. द्वारा दिये गये निर्देशों/निर्णय का पालन सुनिश्चित करना होगा।

संलग्नक : स्वीकृत भवन मानचित्र की प्रतियाँ।

भवदीया,

21/9/2023

महाप्रबन्धक (नियोजन एवं वास्तुकला)

प्रतिलिपि—

- महाप्रबन्धक (परियोजना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सहायक महाप्रबन्धक—सम्पत्ति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

महाप्रबन्धक (नियोजन एवं वास्तुकला)